न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 76 / 2025

शुभांगी सिंह निवासी बी 2 नवल्खा अपार्टमेंट भारत माता पथ जमना लाल बजाज मार्ग, सी स्कीम जयपुर राज. --अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 28.08.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 18.08.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :-

Sexual harassmem of women at workplace (prevention, prohibition and redressali) or PoSH act, 2013 की पालना से संबंधित निम्न जानकारी उपलब्ध करावे

1. आपसे संबंधित जिले में Local Committee बनाने के आदेश व सदस्यों की जानकारी से संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराये।
2. PoSH act- 2013 की धारा 21(1) के तहत District officer के पास "Workplace" की Internal Committees और Local Committee से प्राप्त Annual Report (2021 से सूचना देने की दिनांक तक) की संख्या बताते हुए संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध करावे।
3. PoSH act- 2013 की धारा 21(2) के तहत District officer द्वारा State Government को भेजी गई Annual Report की brief report (2021 से सूचना देने की दिनांक तक), से संबंधित दस्तावजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावे।
4. PoSH act- 2013 की धारा 22 के तहत District officer को Employer से प्राप्त Annual Report (2021 से सूचना देने की दिनांक तक) की संख्या बताते हुए संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोक को पत्र कमांक 1646 दिनांक 21.08.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 803 दिनांक 23.08.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन वर्तमान अति0 जिला कलेक्टर, टोंक के ऑनलाईन पोर्टल पर ना कर अन्य ऑनलाईन पोर्टल पर किये जाने से प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलाण्ट द्वारा चाही गई सूचना का संबंध सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग टोंक से होने से उनके

705

जिला कलेक्टर
टोंक

पत्र कमांक 801 दिनांक 22.08.2025 से अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 802 दिनांक 22.08.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक